प्रेस नोट

दिनांक 05.07.2024

अपराध गोष्ठी

पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की गई सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश-

आगामी त्यौहार मोहर्रम व श्रावण मास के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों व सोशल मीडिया पर विशेष सतर्कता रखने हेतु दिये गए निर्देश-

अपराध गोष्ठी के दौरान थाना प्रभारियों को वांछित, वारंटी व इनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी, शातिर अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा/गैंगस्टर की कार्यवाही तथा आगामी त्यौहारों में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के साथ सैनिक सम्मेलन/अपराध गोष्ठी की गई, जिसका मुख्य विषय आगामी त्यौहार मोहर्रम व श्रावण मास के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी, वांछित, वारंटी व इनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी, शातिर अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा/गैंगस्टर की कार्यवाही, अपराधियों के सत्यापन तथा महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम, कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण रहा । महोदय द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी कर समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात थाना प्रभारियों से उनके थाना क्षेत्र में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अब तक की गयी तैयारियों के सम्बन्ध जानकारी प्राप्त की।

तत्पश्चात आगामी त्यौहार श्रावण मास व मोहर्रम त्यौहार के दृष्टिगत निर्देश दिए की संवेदनशील स्थलों पर दंगा निरोधक उपकरणों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सर्राफा बाजार, कस्बा, चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष सतर्कता रखते हुए सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रबन्ध किया जाये तथा वहाँ पर लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों की क्रियाशीलता को चेक कर ठीक करा लिया जाये । त्यौहारों पर विशेष सतर्कता रखी जाये तथा पोस्टर पार्टी को प्रतिदिन ब्रीफ कर समय से रवाना किया जाये । आगामी त्यौहार श्रावण मास के दृष्टिगत रूट डायवर्जन/रूट चार्ट तैयार कर लिया जाये और उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। 01 जुलाई से लागू नए 03 कानून (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) व उसके तहत जीरो एफआईआर लिखने का शत् प्रतिशत सभी थानो द्वारा पालन किया जाए ।अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों को और अधिक सक्रिय कर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए । सोशल मीडिया सेल विशेष निगरानी रखेगें किसी के द्वारा सोशल मीडिया पर यदि कोई विद्धेषपूर्ण, आपत्तिजनक, समाज विरोधी, अराजक, धार्मिक रूप से भड़काऊ, हिंसा / धरना-प्रदर्शन के लिए उकसाने वाली पोस्ट की जाती है तो तत्काल अवगत करायेगे तथा पोस्ट करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कराई जाए। बैंको/एटीएम की सघन चेकिंग, रात्रि गस्त/पिकेट बढ़ाकर सतर्कता से ड्यूटी करने व मा0 न्यायालय से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का त्वरित व गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने व विवेचकों को समयबद्ध विवेचना निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण ,भंडारण , परिवहन, बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने व नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु कस्बा व ग्रामीण इलाकों में प्रभावी रात्रि गश्त करने, बैंक व लेनदेन वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने, पीआरवी वाहनों की निरन्तर चेकिंग करने, संवेदनशील स्थानों पर पीआरवी वाहनो की सक्रियता बढ़ाए

जाने एवं सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दृश्यता, गतिशीलता, सजगता एवं सतर्कता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया। लंबित विवेचनाओं विशेषकर अनावरित अभियोगो के निस्तारण, वांछित अभियुक्तों, इनामिया, जिलाबदर, एनबीडब्ल्यू के विरूद्ध अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने, गैंगेस्टर के प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 14(1) के तहत अभियुक्तों की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही करने, अपराधियों के विरूद्ध एच0एस0 खोले जाने की कार्यवाही, गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही किए जाने, गैंग पंजीकरण की कार्यावाही, टॉप-10 अपराधियों का चिन्हीकरण कर कड़ी कार्यवाही करने तथा समस्त सम्मन व नोटिस का समय से तामिला कराने, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया। समस्त थाना प्रभारियों को ज्यादा से ज्यादा थानें पर रहकर जनसुनवाई कर पीड़ित फरियादियों की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुनने व उनका तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
महोदय द्वारा बताया गया की ***वर्ष 2024 में अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 80 अभियुक्तों के विरुद्ध 22 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। कुल 57 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। गैंगस्टर एक्ट के 03 प्रकरणों में अपराध से अर्जित की गयी 70,83,729/- रू0 की सम्पत्ति जब्त की गयी है। 149 व्यक्तियों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी तथा अपराधियों पर शिंकजा कसने के लिए अब तक 11 सक्रिय गिरोह के ऊपर गैंग पंजीकरण* की कार्यवाही की गयी जिससे इन गिरोह की हमेशा निगरानी की जा सके।**

इस अवसर पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, जिला आबकारी अधिकारी, प्रभारी जी0आर0पी0, डी0जी0सी0 क्रिमनल, वाचक पुलिस अधीक्षक, पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/शाखा प्रभारी व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.07.2024

थाना छपिया पुलिस द्वारा हत्या की घटना में प्रकाश में आये हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामदः-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु०अ०सं०-186/24, धारा 302 भादवि से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त राजमन पुत्र रामशंकर निवासी नेतौरी मौजा मकोइया थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा को फुलपुर चौराहे से पहले रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसके निशादेही पर घटना में प्रयुक्त ईट का टुकड़ा (आलाकत्ल) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी श्रीमती कल्यानी कुमारी पत्नी दिलीप कुमार निवासी ग्राम मकोइया थाना छपिया जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 02.07.2024 को थाना छपिया पुलिस को सूचना दी गयी की उसके पति दिनाकं 29.06.24 को बभनान बाजार सब्जी लेने गये थे वापस नही आये। दिनांक 01.07.2024 को सुबह पता चला की जमुनहा गाँव में अनाज के गोदाम के पीछे उनकी लाश पड़ी हुई है। तहरीर के आधार पर थाना छपिया पर मु०अ०सं० 186/24, धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया एवं तत्काल उच्चाधिकारीगण द्वारा थाना स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजवाया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी मनकापुर के नेतृत्व में 03 पुलिस टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष छपिया सहित एस0ओ0जी0/सर्विलास को घटना के सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। आज दिनांक 05.07.2024 को थाना छपिया पुलिस व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना का अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाला प्रकाश में आया अभियुक्त- राजमन पुत्र रामशंकर निवासी नेतौरी मौजा मकोइया थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा को फूलपुर चौराहे से पहले रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसके निशादेही पर घटना में प्रयुक्त ईट का टुकड़ा (आलाकत्ल) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त और मृतक दिलीप (वादिनी का पति) आपस में दोस्त थे और कुछ महिने पहले दिल्ली में साथ रहकर पेंटिंग/पी0ओ0पी0 आदि का कार्य करते थे। उसी दौरान अभियुक्त राजमन से मृतक दिलीप ने 2,000/- रूपये उधार लिए थे। अभियुक्त द्वारा बार-बार अपने पैसे मांगने पर भी मृतक द्वारा पैसे नही लैटाया गया। इससे अभियुक्त मृतक से खिन्न था। दिनांक 29.06.2024 को अभियुक्त ने मृतक दिलीप को फोन करके बुलाया। जमुनहा गाँव में अनाज के गोदाम के पीछे ले जाकर शराब पिलाई उसी दौरान अभियुक्त द्वारा दिलीप से पैसे माँगने को लेकर कहा सुनी हुई। अभियुक्त नशे की हालत में दिलीप के सिर पर ईट के टुकडे से चोट पहुचाकर जान से मार दिया और मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजमन पुत्र रामशंकर निवासी नेतौरी मौजा मकोइया थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-186/24, धारा 302भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. घटना में प्रयुक्त ईट का टुकड़ा (आलाकत्ल)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष श्री कृष्णगोपाल राय थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. एस0ओ0जी0 प्रभारी श्री सर्वजीत गुप्ता मय टीम जनपद गोण्डा।
03. सर्विलास प्रभारी श्री शादाब आलम मय टीम जनपद गोण्डा।
04 उ0नि0 सुरेश कुमार यादव, थाना छपिया
05. का0 संजय यादव, थाना छपिया
06. का0 मृदुल, थाना छपिया

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.07.2024, कोतवाली कर्नलगंज,
जनपद गोण्डा।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा टैम्पू की बैट्री चोरी करने के 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की बैट्री काले नारगी रंग की बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 494/24 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों- 01. समीर, 02. शेरू को निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के गेट नं0 II के पास गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद बैट्री काले नारगी रंग की बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री गंगाशरण शुक्ला पुत्र मेवालाल शुक्ला निवासी जोतिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दिये कि दिनांक 03.07.2024 को वह अपनी टैम्पू कचेहरी के सामने खड़ी करके चाय पीने चला गया था की अज्ञात चोरो द्वारा उनके टैम्पू की बैटरी चोरी कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में मु0अ0सं0- 494/24, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बैट्री बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 05.07.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों-01. समीर, 02. शेरू को निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के गेट नं0 II के पास गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद बैट्री काले नारगी रंग की बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. समीर पुत्र अय्यूब निवासी काशीराम कालोनी पंतनगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
02. शेरू पुत्र मकबूल निवासी पटेल नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग

01. मु0अ0सं0- 494/24 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0, थाना कोतवाली नगर, जनपद- गोण्डा

बरामदगी-

01. 01 अदद बैट्री काले नारगी रंग (चोरी की)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 राकेश कुमार
02. का0 विजय सिंह
03. का0 जितेन्द्र कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.07.2024, मॉनीटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज मृत्यु के 03 आरोपी अभियुक्तों को हुई 10-10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 3,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप दहेज मृत्यु करने के आरोपी अभियुक्तों 01. मोहम्मद नईम, 02. मोहम्मद हफीज व 03. कमरजहाँ को 10-10 वर्षो का कारावास व प्रत्येक को रु० 3,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना कौडिया पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोप में आरोपी अभियुक्तों –01. मोहम्मद नईम, 02. मोहम्मद हफीज व 03. कमरजहाँ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री हर्षवर्धन पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, थाना कौडिया के पैरोकार हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद व कोर्ट मोहर्रिर म0का0नम्रता चौधरी द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सुर्य प्रकाश सिंह महोदय द्वारा अभियुक्तों को 10-10 वर्षो का कारावास व रु० 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. मोहम्मद नईम पुत्र मो0हफीज निवासी भगहरियापूरे मिटई तलवा थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।
02. मोहम्मद हफीज पुत्र स्व0 कुद्दूस निवासी भगहरियापूरे मिटई तलवा थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।
03. कमरजहाँ पत्नी मो0हफीज निवासी भगहरियापूरे मिटई तलवा थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 -45/2018 धारा 498ए, 304B भादवि 3/4 DP एक्ट थाना कौडिया जनपद गोंडा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.07.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की को भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 20 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 30,000/- अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप नाबालिग लड़की को भगा ले जाकर उसके साथ दुराचार करने के आरोपी हरिनन्दन गुप्ता उर्फ नन्दन पुत्र बजरंगी निवासी ठठेरीबाजार दयानन्द नगर थाना को0नगर गोण्डा को 20 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के आरोप में अभियुक्त 01. हरिनन्दन गुप्ता उर्फ नन्दन पुत्र बजरंगी निवासी ठठेरीबाजार दयानन्द नगर थाना को0नगर गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अशोक सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक व थाना को0नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक कुमार, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 संध्या चौरसिया के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा/पॉक्सो कोर्ट गोण्डा श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. हरिनन्दन गुप्ता उर्फ नन्दन पुत्र बजरंगी निवासी ठठेरीबाजार दयानन्द नगर थाना को0नगर गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-828/19, धारा 363, 366, 376 भादवि 5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना को0नगर, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।